कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/आदर्श–उत्कृष्ट विद्यालय/61066/2020–21/03 दिनांक 06/10/2020

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
 पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
 समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
 प्रारंभिक शिक्षा, समस्त जिले।

अति–आवश्यक

विषय : राज्य सरकार की "**उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत**" नवीन विद्यालयों का चिह्नीकरण कर परीक्षण एवं भौतिक सत्यापन उपरान्त प्रस्ताव भिजवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग : शासन उप सचिव प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, जयपुर के पत्रांक : प.01 (01) प्राशि/आयो./2020 जयपुर,दिनांक : 23.09.2020।

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत लेख है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय (सामान्यतः कक्षा 01 से 08 के विद्यालय) को "**राज्य सरकार की उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अन्तर्गत**" चयनित कर इन्हें आदर्श विद्यालय के मार्गदर्शन (Mentorship) में उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों द्वारा चयन हेतु निर्धारित मानदण्ड/दिशा– निर्देश पूर्ण नहीं करने, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पंचायत पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसजृन एवं संशोधन, विद्यालय क्रमोन्नति इत्यादि कारणों से उक्त योजनान्तर्गत विद्यालयों के चयन से संबंधित निम्नांकित विसंगतियां सामने आ रही है।

1. उच्च कक्षा स्तर के विद्यालय होते हुए भी निम्न कक्षा स्तर के (राउप्रावि के स्थान पर राप्रावि) विद्यालयों का उक्त योजनान्तर्गत चयन किया गया है।
2. कुछ ग्राम पंचायतों में एक ही विद्यालय को आदर्श एवं उत्कृष्ट दोनो ही योजनाओं के अन्तर्गत चयनित/चिन्हित किया गया है।
3. पूर्व में घोषित उत्कृष्ट विद्यालय बन्द अथवा अन्य विद्यालयों में समन्वित हो जाने से संबंधित ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम में उक्त योजनान्तर्गत कोई भी विद्यालय संचालित नहीं है।
4. कुछ ग्राम पंचायतों/राजस्व ग्राम में उक्त योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों के रामावि/राउमावि स्तर के विद्यालयों में क्रमोन्नत हो जाने के कारण वर्तमान में उस ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम में उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत कोई भी विद्यालय संचालित नहीं है।
5. पंचायत पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन एवं संशोधन उपरान्त कुछ ग्राम पंचायतों/राजस्व ग्राम में एक भी विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत चयनित नहीं है जबकि कुछ ग्राम पंचायतों/राजस्व ग्राम में एक से अधिक विद्यालय उक्त योजनान्तर्गत चयनित/संचालित है इत्यादि।

उक्त विसंगतियों/बिन्दुओं का उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत विद्यालयों का चयन किए जाने हेतु निर्धारित मानदण्डों/दिशा–निर्देशों (संलग्न) एवं समसामयिक/वास्तविक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में परीक्षणोंपरांत **नवीन चयनित/चिन्हित विद्यालयों** के प्रस्ताव **(सुस्पष्ट एवं विस्तृत कारण सहित) भौतिक सत्यापन के उपरांत** निर्धारित प्रारूप **(संलग्न परिशिष्ट–1)** में इस कार्यालय की ई–मेल आई.डी. –dserajadarsh.edu@rajasthan.gov.in पर हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी (पीडीएफ) एवं सॉफ्ट कॉपी (एक्सल) में **दिनांक 15.10.2020** तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

<u>नोटः–</u> समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि./प्रा.शि. से आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत नवीन चयनित/चिन्हित विद्यालयों के प्रस्ताव प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रेषणीय प्रस्ताव निर्धारित मानदण्ड एवं दिशा–निर्देशानुसार ही तैयार किए गए है एवं किसी भी विद्यालय को आदर्श एवं उत्कृष्ट दोनों ही योजनाओं के अन्तर्गत चयनित/चिन्हित नहीं किया गया है।

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

www.rajsevak.com

संलग्नः–

1. **शासन द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत चयनित/चिन्हित विद्यालयों की सूची विभागीय वेबसाईट <u>www.education.rajasthan.gov.in/elementary</u> (लिंकः– <u>https://bit.ly/36yoSIY</u>) पर उपलब्ध है।**

कार्यालय का पताः– कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
दूरभाषः– 0151–2522238 ई–मेलः– dserajadarsh.edu@rajasthan.gov.in

2. वर्तमान में उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत संचालित विद्यालयों की सूची (शाला दर्पण)।
3. सूचना प्रेषित करने हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–1) ।
4. निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–1) की पूर्ति हेतु दिशा–निर्देश (परिशिष्ट–2) ।
5. प्रमाण–पत्र (परिशिष्ट–3) ।
6. उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत विद्यालयों का चयन किए जाने हेतु निर्धारित मानदण्ड/दिशा–निर्देश।